

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला-अजमेर

राजस्व मुकदमा नं.

44/2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान

राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0 रघुनाथपुरा बनाम

1. श्री जेराम,पन्नालाल,रघुवीर पुत्र श्री सोनीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कल्याणीपुरा

2. श्री दूदाराम,हरीराम ,रडमा पुत्र श्री मोतीराम सर्व जाति गुर्जर निवासी ग्राम कल्याणीपुरा

निर्णय

दिनांक:- 07.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम कल्याणीपुरा के आराजी खसरा नंबर 142/177 किस्म ब.2 रकबा 5-00 को अनाधिकृत बाजरा,142/178 किस्म ब.2 रकबा 4-00 को अनाधिकृत बाजरा, 142/179 किस्म ब.2 रकबा 4-10, को अनाधिकृत बाजरा,142/181 किस्म ब.2 रकबा 4-10 बीघा अनाधिकृत बाजरा व ज्वार काश्त कर गैर सायल ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलगण को नोटिस से तलब किया गया। गैर सायलगण में गैरसायल पन्नालाल उपस्थित हुआ व अन्य गैरसायलगण अनुपस्थित रहे। गैरसायल ने अतिक्रमण करना स्वीकार किया। बचाव पक्ष में अन्य कोई सबूत पेश करना नहीं चाहा। अतः गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर मामला निर्णीत किया जाता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि गैरसायल को ग्राम कल्याणीपुरा के आराजी खसरा नंबर 142/177 किस्म ब.2 रकबा 5-00 को अनाधिकृत बाजरा,142/178 किस्म ब.2 रकबा 4-00 को अनाधिकृत बाजरा, 142/179 किस्म ब.2 रकबा 4-10, को अनाधिकृत बाजरा,142/181 किस्म ब.2 रकबा 4-10 बीघा से बेदखल किया जाता है तथा लगान 3.00 का 50 गुणा 150/-रुपये जुर्माना किया जाता है तथा गैरसायल को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का प्रसंगत आराजी पर खडी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा पटवारी हल्का विवादित भूमि पर से गैर सायलगण को भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा कम्प्यूटर में टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नंबर से कम होकर पत्रावली पूर्ति संग्रह भण्डार हो।



वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पत्र संख्या 30 पर रा. 150/- का नया कायमी की गई। तहसील राजस्व अधिकारी 19/10/22

[Signature]
नायब तहसीलदार
रुपनगढ (अजमेर)
तहसील राजस्व अधिकारी